

संख्या 14.5.18

संख्या 127

दिनांक

पृष्ठ

14.5.18

पत्रावली नं. 127 का प्रथम खण्ड - 127  
खण्डों में से 127 संख्या वाली  
एवं नोटिसों में उल्लिखित होकर  
प्रकरण में आपकी कृपया  
सहीनामा होने का प्रमाण  
दिखा कि ~~सहीनामा~~ सहीनामा - खण्डों  
खाना संख्या - 127 का नं.

उद्योगपालिका  
विभाग

क/127/18

इत्यादि

खापू वार्ड

अनुवार्ड

सौना वेंकटर

1249 व 1267 / 1249 संख्या

उपस्थ 0.09 ई. व 0.09 ई.

नोटिसों के संशोधनों में

उल्लिखित कि ~~खाना~~ / नोटिसों

का नाम ~~सहीनामा~~ सहीनामा

में संशोधन किया जावे

पत्रावली में ~~127~~ 127 का नं.

नोटिस पत्रावली संख्या

संख्या नोटिस संख्या में

संख्या 127

सहायक अधिकारी

संवरदास

लालुदास

दत्तदास

जगन्नाथ

प्रभुमान

नानादास

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी

(उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :- चान्दोली  
(राजीनामा प्रपत्र)

सेवानुं

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़।

दिनांक 14.5

प्रकरण संख्या:- 3220101 वनाम का 12-9121  
8.117 अन्तर्गत धारा 83, 182, 209

महोदय,

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री (1) इमल्लु (2) श्रीमती लाल (3) विष्णु मिश्र  
निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में  
पक्षको के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्ष  
के बीच संबंध अच्छे हो चुके हैं।

हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है:- जाम - चान्दोली

1267/1249 रकम दोषा: 0.09 व 0.09 वादीपक्ष की  
वादीपक्ष के पक्ष में समझौता किया जाते। इसमें हम सभी सहमत हैं।

अतः श्रीमान से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का  
करने की कृपा करें।

- वादी पक्ष
- 3220101
  - मिश्र
  - मिश्र
  - मिश्र की

- प्रतिवादी पक्ष
- सोना वैष्णव
  - इशिका
  - चाणू वादी
  - अन्य
- पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (प्रतिवादी पक्ष) नाम मिश्र

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर (वादी पक्ष) नाम मिश्र  
प्रार्थी/वादी

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामे की इबा  
व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया। अतः राजीनामा हस्तबख्वाहिश पक्षव  
किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(हो सदस्य)  
A.T.

(हो सदस्य)  
ग्राम पंचायत चान्दोली

(हो सदस्य)  
छोटीसादडी

(हो सदस्य) अधिकारी  
छोटीसादडी  
(दिनेश कुमार म)  
उपखण्ड अधिकारी

मुल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी

(उपखण्ड अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी:- श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा, RAS

उपखण्ड

उपखण्ड

वनाम

कोमलराज

दावा बाबत 38, 188, 209

मुकदमा नम्बर- 817

निर्णय दिनांक:- 14.5.18

वादी की ओर से स्वयं वादी की व प्रतिवादी की ओर से स्वयं प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा, RAS (नाम उपखण्ड अधिकारी) छोटीसादडी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि- मोजा-चान्दोली स.जं. 1249, 1267/12 रकबा कमरा: 0.09 ई., 0.09 ई. तमिऴनाडु के आदेशिका में दर्जित कि जाती है। तमिऴनाडु का नाम उपखण्ड अधिकारी से दर्ज किया गया

खर्चा पक्षकारन अपना- अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14-5-18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिनेश कुमार मण्डोवरा)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.....रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के निर्वाह-व्यय	
5.साक्षियों के निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6.कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी